गोपनीय

मा0 मंत्रि-परिषद हेतु टिप्पणी

विषय :- **उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 के सम्बन्ध में।**

1- परिचय

भारत में खेल एक आदर्श बदलाव का गवाह बन रहा है और हाल के इतिहास ने न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे एथलीटों के प्रदर्शन के संदर्भ में बल्कि वैश्विक खेल आयोजनों को भारत में लाने के लिए भी खेलों में बढ़ती दिलचस्पी और निवेश को दिखाया है। हमारे एथलीटों के खेल प्रदर्शन के बारे में बढ़ती जागरूकता के अलावा, खेल भागीदारी के महत्व और एक सक्रिय जीवन शैली के लाभों को भी व्यापक मान्यता मिली है। केंद्र सरकार की पहल जैसे खेलो इंडिया और फिट इंडिया ने वास्तव में देश के खेल और फिटनेस पारिस्थितिकी तंत्र पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। चूंकि खेल राज्य का विषय है, इसलिए सकारात्मक प्रभाव लाने की शक्ति उत्तर प्रदेश के खेल विभाग के पास है। इसे सफल बनाने के लिए विभाग केंद्रीय और राज्य स्तर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है और जमीनी स्तर से एथलीटों की भागीदारी और प्रगति के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, जिससे खेल और फिटनेस गतिविधियों में बड़ी जनता भी शामिल होती है। उत्तर प्रदेश ने मेजर ध्यानचंद (हॉकी), जगबीर सिंह (हॉकी), गौस मोहम्मद (टेनिस), अन्नू राज सिंह (शूटिंग), सुरेश रैना, प्रवीण कुमार (क्रिकेट) और कई अन्य के रूप में चैंपियन बनाए हैं। राज्य एथलीटों के लाभ के लिए केंद्र सरकार की पहल को बढ़ावा देने और लागू करने के दौरान अपनी खुद की खेल विकास रणनीतियों को विकसित करने में भी सक्रिय रहा है। आगे बढ़ते हुए, खेल विभाग ने सुशासन और बड़े पैमाने पर खेल और फिटनेस कार्यक्रमों के कुशल कार्यान्वयन के लिए बेंचमार्क स्थापित करके यूपी को राष्ट्रीय खेल आंदोलन में सबसे आगे रखने की कल्पना की है।

राज्य स्तर पर खेल और फिटनेस के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी नीतियों और रणनीतियों के विकास की आवश्यकता है जो राज्य की जमीनी वास्तविकताओं के लिए प्रासंगिक होने के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल दृष्टि से जुड़ी हों। उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 को व्यापक, अभिनव, समग्र और टिकाऊ नीति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक माध्यमिक अनुसंधान और व्यापक हितधारक परामर्शों को नियोजित करके तैयार किया गया है।

2- विजन

प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता की खोज में एथलीटों को सुविधा प्रदान करके उत्तर प्रदेश के भीतर एक संपन्न, समावेशी स्पोर्ट्स इको सिस्टम स्थापित करना। खेल और सक्रिय जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना, और दूरगामी लाभों के साथ एक खेल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना।

3- उद्देश्य

-एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास संरचना की स्थापना करते हुए बच्चों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

-कम उम्र में प्रतिभा को पहचानना और उन्हें उत्कृष्टता के लिए पोषित करना।

-खेल उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले सभी एथलीटों के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना।

-सभी को पर्याप्त स्तर-उपयुक्त प्रशिक्षण अवसंरचना प्रदान करना।

-राज्य में खिलाड़ियों की भागीदारी के सभी स्तरों पर अपने खिलाड़ियों के लिए राज्य में एक व्यापक प्रतियोगिता संरचना का समर्थन करने के लिए।

-खेल के लिए राज्य के दृष्टिकोण के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करना।

खेलों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त खेल बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नयन, उपयोग और रखरखाव करना और आयोजनों की मेजबानी के लिए बुनियादी ढांचे सहित स्पोर्ट्स इको सिस्टम को मजबूत करना।

-सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/पब्लिक एसोसिएशन पार्टनरशिप (पीएपी)/पब्लिक फेडरेशन पार्टनरशिप (पीएफपी) के जरिए बुनियादी ढांचे सहित खेल इको सिस्टम को मजबूत करना। निजी क्षेत्र के खेल अकादमियों/सुविधाओं को वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर प्रदेश में अधिक से अधिक खेल सुविधाएं सृजित करना

-राज्य के सभी नागरिकों के लिए खेल की संस्कृति और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, चाहे उनकी उम्र, भूगोल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

-उपकरण, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में कंपनियों और स्टार्ट-अप को सुविधा प्रदान करके राज्य में एक फलते-फूलते खेल उद्योग का विकास करना।

- ओडीओपी जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के हब का विकास।

- स्पोर्ट्स इको सिस्टम में खिलाड़ियों, कोचों, सहायक कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को उनकी बेहतर उपलब्धियों के लिए मान्यता, पुरस्कार और प्रोत्साहन देना।

- महिलाओं की भागीदारी, पैरा-एथलीटों और स्वदेशी पारंपरिक खेलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में खेलों का उपयोग करना।
- नीति कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय, राज्य विभागों और निजी भागीदारों के साथ बहु-हितधारक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।
- खेल पहल और योजनाओं के कुशल वितरण के लिए दिन-प्रतिदिन के संचालन में डिजिटल प्रथाओं को आत्मसात करना।

4. नीति के प्रमुख घटक

यूपी खेल नीति

-शासन और प्रशासन

-खेल उद्योग विकास

-खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना

-खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना

-बुनियादी ढांचे का निर्माण और उपयोग

-आयोजनों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी और संचालन

-खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन

-प्रतिभा की पहचान और विकास

5. खेल का गवर्नेंस एवं प्रशासन

किसी भी नीति के कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत और कुशल शासन और प्रशासनिक संरचना की आवश्यकता होती है। इसलिए, सही लोगों और प्रक्रियाओं को स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि अच्छे और नैतिक शासन के सिद्धांतों को समय पर अपनाया जाए। इसके अलावा, खेल के भीतर कई पहलों के लिए अन्य सरकारी और स्वायत्त विभागों के साथ सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, एक आधुनिक, मानकीकृत प्रशासन मॉडल होना आवश्यक है जिसमें प्रत्येक हितधारक को अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की स्पष्टता हो।

5.1. खेल प्रशासन के प्रमुख हितधारक

5.1.1. खेल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

खेल विभाग उत्तर प्रदेश में खेलों का संचालन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। वे वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक सहायता के साथ एजेंसियों का समर्थन करते हुए नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। यह नीतिगत घटकों को लागू करने के लिए संबंधित कार्य योजनाओं को डिजाइन और निगरानी करने के लिए आवश्यकता के अनुसार कार्य समितियों और उप समितियों का गठन करता है। अगले कदम के रूप में कर्मचारी और राज्य के अधिकारी नीति कार्यान्वयन से संबंधित उन्हें सौंपे गए संबंधित कर्तव्यों का पालन करेंगे, और अपने संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारी और समिति को रिपोर्ट करेंगे। प्रशासकों के सभी रिक्त पदों को भरा जायेगा तथा कोचों के सभी रिक्त पदों को भी यथाशीघ्र भरा जायेगा।

5.1.2. यूपी ओलंपिक संघ (यूपीओए) और राज्य खेल संघ

यूपीओए और राज्य खेल संघ स्वायत्त निकाय हैं जिन्हें राज्य स्तर पर खेल के विकास और प्रबंधन के साथ सौंपा गया है।

खेल संघ/संघ अपने संबंधित खेल के लिए प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों के पूरे संचालन को संभालेंगे। ये निकाय राज्य में अपने संबंधित खेल की राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की सफलतापूर्वक बोली लगाने और उनकी मेजबानी करने का भी प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, खेल विभाग के माध्यम से, इन संघों/संघों को धन और बुनियादी ढांचे के प्रावधान के माध्यम से आयोजनों और प्रशिक्षण शिविरों के संचालन के लिए समर्थन करेगी।

5.1.3. स्थानीय निकाय और खेल क्लब/खेल अकादमियां

स्थानीय निकाय और खेल क्लब समुदाय के भीतर खेलों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इन निकायों को वित्त पोषण, कर्मियों या उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय नागरिकों के लिए जमीन पर खेल गतिविधियों को लागू करने में सरकार द्वारा समर्थित किया जाएगा। ये निकाय स्थानीय युवाओं को अपने इलाकों में आयोजन के दौरान स्पोर्ट्स एसोसिएशन के संचालन समर्थन के रूप में शामिल करने का भी प्रयास करेंगे। खेल क्लबों/खेल अकादमियों को पुरस्कृत करने के लिए एक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन मॉडल भी विकसित किया जाएगा जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले असाधारण एथलीट तैयार करते हैं।

खेल संगठनों के रूप में हितधारक के अलावा, अन्य सरकारी विभाग और शैक्षणिक संस्थान नीति को क्रियान्वित करते समय अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और चुनौतियों को साझा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। शैक्षिक संस्थानों को समय सारिणी के हिस्से के रूप में खेल/शारीरिक शिक्षा के प्रति दिन न्यूनतम **40 मिनट** शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल विभाग, शिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने का प्रयास करेगा।

इस नीति से जुड़ी रणनीतियों और पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। खेल विभाग, सरकार के तहत यह स्वायत्त निकाय यूपी सरकार नीति को लागू करने, संसाधनों को जोड़ने और निगरानी करने और कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विभाग को रिपोर्ट करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय और सहयोग करेगी।

5.2. खेल प्रशासन में नैतिकता और सत्यनिष्ठा

खेल को एक ऐसा मंच माना जाता है जो स्वस्थ प्रतियोगिताओं के वातावरण के माध्यम से नैतिकता और अखंडता सिखाता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि राज्य की खेल विकास पहल नैतिकता और अखंडता के उच्चतम मानक को बनाए रखते हुए संचालित की जाए ।

नैतिकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे -

हिंसा, उत्पीड़न, धमकाने और किसी भी अन्य प्रकार के दुर्व्यवहार से बचाव के लिए एथलीटों और कर्मचारियों के साथ कार्यशालाएं।

- मेला खेल, प्रतियोगिता की पवित्रता और प्रतिभागियों और आगंतुकों की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के आयोजकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम
- सुशासन के संबंध में प्रशासकों की शिक्षा, सभी गतिविधियों के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं (विशेषकर भर्ती और वित्तीय संवितरण) आदि।
- राज्य के भीतर सभी खेल गतिविधियों के लिए लागू आचार संहिता दस्तावेज का विकास
- नाडा, शैक्षणिक संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के सहयोग से डोपिंग रोधी के लिए जागरूकता अभियान
- कार्यशालाएं और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने पर दिशानिर्देश जो सभी प्रकार के उत्पीड़न को रोकता है।

5.3. डिजिटल शासन

"न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन" सुनिश्चित करने के लिए, सभी हितधारकों के लिए निर्बाध अनुभव के लिए एकीकृत डिजिटल सिस्टम और उपकरण विकसित किए जाएंगे

- प्रशासकों के लिए ई-फाइलिंग और ई-ऑफिस पोर्टल।
- एथलीटों, कोचों, सहायक स्टाफ और अकादमियों के लिंक्ड डेटाबेस बनाने के लिए रिपोजिटरी।
- एथलीट प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली एथलीटों के प्रदर्शन डेटा को उसकी रिपोजिटरी प्रविष्टि से एकत्रित करना और जोड़ना।
- मौजूदा बुनियादी ढांचे की मैपिंग और विकास/उन्नयन कार्य की प्रगति पर नज़र रखने के लिए बुनियादी ढांचा प्रबंधन प्रणाली।
- एथलीट रिपोजिटरी में एथलीट विवरण के लिए मैप की गई आवासीय प्रशिक्षण सुविधाओं पर नज़र रखने के लिए छात्रावास/अकादमी प्रबंधन प्रणाली।
- व्यवस्थापकों के लिए स्वचालित और अनुकूलन योग्य डैशबोर्ड।

कोचों, तकनीकी कर्मचारियों और प्रशासनिक कर्मचारियों को कुशल तरीके से डिजिटल रूप से डेटा एकत्र करने और विश्लेषण और रिपोर्ट/डैशबोर्ड बनाने के लिए सिस्टम में इनपुट करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने और मापने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

6. प्रतिभा की पहचान और विकास

प्रतिभा की पहचान और विकास स्पोर्ट्स इको सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। विश्व स्तर पर प्रतिभा पहचान और विकास के विभिन्न मॉडलों का अनुसरण किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में युवा एथलीटों की पहचान करना या **अभिजात** वर्ग के स्तर पर प्रदर्शन करने की क्षमता दिखाना और प्रशिक्षण देना और उन्हें अपने संबंधित खेल में उच्चतम स्तर पर उनकी क्षमता का एहसास करने में मदद करना शामिल है। खेल विभाग प्रतिभाशाली एथलीटों के स्काउटिंग और प्रशिक्षण के लिए एक मजबूत मॉडल बनाने के लिए खेल संघों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ सहयोग करेगा।

6.1. प्रतिभा की पहचान

"कैच देम यंग" आमतौर पर स्पोर्ट्स इको सिस्टम में प्रतिभा पहचान के संबंध में उपयोग किया जाने वाला एक वाक्यांश है। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि प्रतिभाशाली एथलीटों की सही उम्र में पहचान की जाए, लेकिन युवा या जूनियर स्तर पर जल्दी बर्नआउट से बचें, ताकि उन्हें अपने प्रदर्शन को

वांछित स्तर या क्षमता तक बढ़ाने के लिए उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रतिभा को जमीनी स्तर (जिला या राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं या चयन परीक्षणों से) या **अभिजात** वर्ग या उभरते स्तर (राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं/प्रतियोगिताओं से) से पहचाना जा सकता है।

खेल महाविद्यालयों में प्रवेश उस खेल के राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की चयन समिति द्वारा चयन के आधार पर किया जाएगा। दाखिले के लिए ट्रायल होगा। छात्रावासों में छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रखी जाएगी और प्रत्येक वर्ष छात्रावास में निरंतरता की समीक्षा की जाएगी। इन चयनित खिलाड़ियों को कॉलेज और छात्रावास में सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी और उनके प्रदर्शन के मानकों में सुधार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अलग आहार/प्रदर्शन परामर्श दिया जाएगा। प्रत्येक स्पोर्ट्स कॉलेज/छात्रावास में एक आहार विशेषज्ञ और प्रदर्शन बढ़ाने वाला विशेषज्ञ होगा। ये कॉलेज परफॉर्मेंस एन्हांसमेंट सेंटर से भी लैस होंगे। उनके मानकों को बेहतर बनाने में मदद के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा।

प्रत्येक जनपद में उभरते प्रतिभाओं के खोज एवं विकास हेतु एक कमेटी बनायी जायेगी, जिसमें सभी खेल संघों के प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित जनपद के क्रीड़ाधिकारी/उप क्रीड़ाधिकारी रहेंगे, जो प्रत्येक वर्ष हर जिले से 05-05 खिलाडी चुनेंगे।

जमीनी स्तर पर

-संभावित प्रतिभा (फिटनेस आकलन के स्कोर के आधार पर)

-सिद्ध प्रतिभा (जिला और राज्य स्तरीय आयोजनों से)

उच्च क्षमता (एलीट)

-सभी चिन्हित प्रतिभाओं को नियमानुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा।

-राष्ट्रीय स्तर की सिद्ध प्रतिभा

-खेलो इंडिया गेम्स से, एनएसएफ और एसजीएफआई द्वारा राष्ट्रीय चैंपियनशिप के माध्यम से।

सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्रतिभा की पहचान की जाएगी। राज्य के भीतर परीक्षण आयोजित करने के लिए खेल संघों को बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच, जमीनी कर्मियों, उपकरणों आदि के रूप में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी ।

6.2. स्पोर्ट्स कॉलेज और छात्रावास

खिलाड़ियों का चयन पुराने वर्षों के अच्छे खिलाड़ियों द्वारा किया जाना चाहिए। खेल महाविद्यालय/छात्रावास कर्मचारियों, प्रशिक्षकों आदि की चयन प्रक्रिया में कोई संलिप्तता नहीं होगी।

उम्मीदवार को चयन के समय नंबर दिए जाने चाहिए। उन्हें नाम और स्थान से नहीं पुकारा जाना चाहिए। नाम गुप्त रखना चाहिए। उनकी वास्तविक उम्र जानने के लिए उत्तीर्ण उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट कराया जाना चाहिए।

सख्त मानदंडों और अनुशासन के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले छात्रावास / भोजनालय की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

प्रत्येक खेल में विशेष रूप से क्रिकेट में सीमित संख्या में प्रशिक्षक होने चाहिए ताकि कोच उन्हें पूरे ध्यान से सिखा सकें। एक बार में **20** से ज्यादा खिलाड़ी नहीं।

उनके खेल में सुधार का पता लगाने के लिए समय-समय पर शारीरिक और साथ ही व्यावहारिक परीक्षण आयोजित किए जाएं।

जीवन स्तर, भोजन, कोचिंग के स्तर, प्रशिक्षुओं के अनुशासन, प्रदर्शन आदि का समय-समय पर औचक निरीक्षण किया जाना चाहिए।

कॉलेज/छात्रावास में प्रशिक्षुओं की देखभाल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सक नियुक्त किए जाएंगे ।

6.3. पहचान किए गए एथलीट का प्रशिक्षण और विकास:

पहचानी गई प्रतिभाओं को उनकी भागीदारी/प्रदर्शन के स्तर के अनुरूप समर्थन का सही रूप प्रदान करना महत्वपूर्ण है। एथलीटों को नीचे के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- ग्रासरूट स्तर के खिलाड़ी
- विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी
- उच्च स्तर के खिलाड़ी

प्रत्येक एथलीट, उसकी भागीदारी के स्तर के अनुसार प्रशिक्षण केंद्र के प्रकार में शामिल किया जाता है जो आवश्यकता के अनुसार बुनियादी ढांचा और सुविधाएं प्रदान कर सकता है। विभाग खिलाड़ी को उसकी भागीदारी के स्तर के अनुसार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा जैसा कि सचित्र है -

उच्च स्तर के खिलाड़ी :

-प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के लिए विदेशी एक्सपोजर यात्राएं
-विशेषज्ञ कोच (राष्ट्रीय और विदेशी)
-खेल विज्ञान समर्थन
-उन्नत स्तर के उपकरण

विकास संबंधी:

-प्रमाणित और अनुभवी कोचों द्वारा कोचिंग
-देश में आसपास विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने का एक्सपोजर
-शिक्षा में समर्थन

जमीनी स्तर पर:

-खेल के मैदान और खेल के बुनियादी ढांचे तक पहुंच
-बुनियादी उपकरणों तक पहुंच
-कौशल और फिटनेस प्रशिक्षण

खिलाड़ियों को विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्राप्त होगी। जहां जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को विभिन्न खेल नर्सरी में प्रशिक्षित किया जाएगा, वहीं विकास स्तर के खिलाड़ियों को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। एलीट खिलाड़ियों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में विशेषज्ञ कोचों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनके पास स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन सपोर्ट और डेटा और वीडियो एनालिटिक्स जैसे अन्य तकनीकी तत्व हैं, जो खिलाड़ियों को काफी मदद करेंगे।

6.4. खेल को प्राथमिकता देना

विभाग खेलों को 3 विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करेगा जैसे उच्च प्राथमिकता वाले खेल, प्राथमिकता वाले खेल और सामान्य खेल। प्राथमिकता देने से विभाग को उन खेलों पर अधिक ध्यान देने में मदद मिलेगी जो ओलंपिक और पैरालिंपिक जैसे प्रमुख आयोजनों में सफलता देने की अधिक संभावना रखते हैं। विभाग प्रत्येक ओलंपिक चक्र के बाद खेलों के समग्र प्रदर्शन की समीक्षा करेगा और किसी विशेष श्रेणी से किसी खेल को जोड़ या हटा देगा।

उच्च प्राथमिकता वाले खेल:

-खेल जो राज्य में पहले से ही लोकप्रिय हैं।

-खेल जिनमें वर्षों से अच्छी भागीदारी देखी गई है।

-खेल जिसमें राज्य के एथलीटों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

-खेल जिनके बड़ी संख्या में आयोजन होते हैं (उदा: तैराकी और एथलेटिक्स)

सामान्य खेल:

-खेल जो राज्य में विशेष रूप से लोकप्रिय नहीं हैं।

-ऐसे खेल जिनमें राज्य ने विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और भागीदारी भी कम रही है व मेडल्स भी कम मिले हैं।

-ऐसे खेल जो अभी तक ओलंपिक खेलों का हिस्सा नहीं हैं।

उच्च-प्राथमिकता वाले खेलों में **एचपीसी** में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उच्च स्तर के खिलाड़ियों को उनकी योग्यता को उस स्तर तक विकसित करने के उद्देश्य से पूरी तरह से अनुकूलित उच्च-प्रदर्शन प्रशिक्षण सहायता दी जाएगी, जिसमें वे ओलंपिक / पैरालंपिक सफलता प्राप्त कर सकें। यह स्पोर्ट्स एसोसिएशन, विशेषज्ञ तकनीकी और वैज्ञानिक कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के समर्थन के सहयोग से हासिल किया जाएगा।

6.5. विभिन्न स्तरों पर खिलाड़ियों के लिए नई योजनाएं

विभाग जमीनी स्तर, विकासात्मक और अभिजात वर्ग जैसे विभिन्न स्तरों पर खिलाड़ियों के समर्थन और उनके साथ काम करने के लिए नई योजनाएं शुरू करेगा। इन नई योजनाओं के तहत विभिन्न कार्य किए जाएंगे।

6.5.1. ग्रासरूट खिलाड़ियों के लिए योजना

- जिला स्तरीय एथलीट, जूनियर राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप के शीर्ष पांच एथलीट और राज्य जूनियर स्तर की चैंपियनशिप के शीर्ष 5 एथलीट
- विभिन्न आयु समूहों के लिए स्कूलों और ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन।
- विभिन्न जिला और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का दौरा करने के लिए स्काउट प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना और योजना में शामिल की जाने वाली संभावित प्रतिभाओं को शॉर्टलिस्ट करना।
- नई प्रतिभाओं को खोजने और शामिल करने के लिए चयन परीक्षणों का आयोजन करना।
- जिला स्तरीय अकादमियों और खेलो इंडिया केंद्रों में विभिन्न खिलाड़ियों की प्रवेश प्रक्रिया का प्रबंधन।
- जिला स्तरीय खेल केन्द्रों की स्थापना और संचालन।
- साई योजनाओं का उपयोग करना और नए खेलो इंडिया केंद्र शुरू करना।
- योजना में प्रत्येक एथलीट के प्रदर्शन की निगरानी करना।
- खिलाड़ियों का स्तर बनाए रखने और उनकी अभिवृद्धि करने के लिए शिविर आयोजित करना।
- जूनियर स्तर पर खिलाड़ियों के लिए 75,000 रुपए और सब जूनियर स्तर पर एथलीटों के लिए 50,000 रूपए की वार्षिक वित्तीय सहायता।

6.5.2. विकासात्मक एथलीटों के लिए योजना

- राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए चयनित खिलाड़ी और प्रत्येक खेल में राज्य चैंपियनशिप के शीर्ष पांच खिलाड़ी।
- इस योजना में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का पालन करें और उनका विश्लेषण करना।

- इस योजना में शामिल करने के लिए जमीनी स्तर से खिलाड़ियों के लिए चयन परीक्षण आयोजित करना।
- राज्य स्तरीय उत्कृष्टता केंद्र और खेल अकादमियों की स्थापना।
- एसएआई योजनाओं का उपयोग करना और यूपी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करना।
- खिलाड़ियों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराना।
- आयोजनों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों की सहायता करना और उनकी सहायता करना।
- योजना से एथलीटों को बनाए रखने और बाहर निकालने के लिए प्रदर्शन का विश्लेषण और शिविर आयोजित करना।
- एथलीटों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आहार के लिए **2,00,000** रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता।
- प्रत्येक मण्डल तथा स्पोर्टस कालेजों में एक फिजियो, एक ट्रेनर एवं एक डाइटिशियन की व्यवस्था की जायेगी।

6.5.3 उच्च क्षमता वाले खिलाड़ियों (एलीट) के लिए योजना (राष्ट्रीय स्तर के खेलों के शीर्ष पांच एथलीट और विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य खेल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी एथलीट)

- इस योजना में एथलीटों को शामिल करने के लिए पूर्व प्रशिक्षकों, एथलीटों और खेल विज्ञान के सदस्यों की एक समिति है।
- इस योजना में खिलाड़ियों के लिए प्रदर्शन विश्लेषकों और संबंध प्रबंधकों की एक टीम नियुक्त करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का पालन करना और उनका विश्लेषण कर उन्हें नई सम्भावनाओं की जानकारी/प्रशिक्षण देना ।
- खिलाड़ियों को उपकरण खरीदने में सहायता प्रदान करना।
- खिलाड़ियों को उनके प्रशिक्षण, पुनर्वसन और अन्य खेल विज्ञान आवश्यकताओं में मदद करना।
- विदेशों में होने वाले मान्यता प्राप्त टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों और उनके कोचों की मदद करना। (वीजा आवश्यकताएं, उड़ानों की बुकिंग, विमान किराया, वित्तीय सहायता और होटल, आदि)
- भारत में अच्छे विदेशी कोच होने या हमारे खिलाड़ियों को उन्नत स्तर के प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजकर खिलाड़ियों की मदद करना।
- उच्च प्राथमिकता वाले खेल विषयों में विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की भर्ती।
- खिलाड़ियों को उनके शारीरिक स्वास्थ्य और आहार के लिए 3,00,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता।

इस योजना में एथलीटों को शामिल करने के लिए उनके पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाएगा।

जमीनी स्तर के खिलाड़ी : जिला स्तरीय एथलीट, जूनियर नेशनल लेवल चैंपियनशिप के टॉप पांच खिलाड़ी और स्टेट जूनियर लेवल चैंपियनशिप के टॉप 5 एथलीट

विकासात्मक खिलाड़ी: राष्ट्रीय स्तर के खेलों के लिए चुने गए खिलाड़ी और प्रत्येक खेल में राज्य चैंपियनशिप के शीर्ष पांच खिलाड़ी ।

एलीट एथलीट: राष्ट्रीय स्तर के खेलों के शीर्ष पांच एथलीट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और अन्य खेल चैंपियनशिप में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी।

किसी भी योजना से खिलाड़ियों को बढ़ावा देने उनका स्तर बनाए रखने के लिए, प्रदर्शन प्रबंधकों द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। पिछले साल के प्रदर्शन की समीक्षा के आधार पर, खिलाड़ी को या तो बरकरार रखा जाएगा या योजना से बाहर कर दिया जाएगा। किसी भी योजना से खिलाड़ियों को बनाए रखना या बाहर निकालने से पहले फाइनल से पहले खिलाड़ी को चोट लगने और इवेंट को रद्द करने जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।

*उपलब्धियों और मानकों की परिभाषा संबंधित खेलों के संघों के सहयोग से परिभाषित की जाएगी।

6.6. राष्ट्रीय और राज्य संघों की सहायक पहल:

भारत में हर खेल का राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर अपना शासी निकाय होता है। राष्ट्रीय और राज्य संघ भी खेलों को बढ़ावा देने और अपने संबंधित खेलों की प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के विकास कार्यक्रम चलाते हैं। विभाग राज्य में अपनी पहल चलाने के लिए संघों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ अनुमति देगा।

-राज्य में अपनी प्रतियोगिताओं के आयोजन में संघों का समर्थन करना

- चयन शिविर आयोजित करने के लिए संघों को एफओपी, छात्रावास और कोच निःशुल्क उपलब्ध कराकर सहायता करना।
- खेल अकादमियों और सीओई के निर्माण के लिए संघों को भूमि उपलब्ध कराना तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।
- विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को शामिल करने के लिए उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले खेलों को भी धन मुहैया कराया जाएगा। उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले खेलों के लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए संघों को **100%** वित्त पोषित किया जाएगा।

6.7. प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान कर्मचारियों के लिए विकास कार्यक्रम:

योग्य और प्रमाणित प्रशिक्षकों और खेल विज्ञान कर्मचारियों को काम पर रखना पर्याप्त नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि कोच और खेल विज्ञान कर्मचारी अपडेट रहें और उसके लिए नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। विभाग उन संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगा जो सहायक कर्मचारियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान कर सकें ताकि वे बेहतर परिणाम दे सकें। विभाग भारत में या विदेशों से उन्नत स्तर के पाठ्यक्रम और प्रमाणन कार्यक्रम के लिए जाने वाले व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

7. खेल के बुनियादी ढांचे का विकास और उपयोग:

किसी भी राज्य/ राष्ट्र के खेल विकास मॉडल में आधारभूत संरचना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुनियादी ढांचे तक पहुंच खेल अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। तथापि, एक पहलू जो समान रूप से महत्वपूर्ण है वह है अवसंरचना का उपयोग। इसलिए, यूपी खेल नीति निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगी –

- स्कूलों/कॉलेजों/इसी तरह के संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग समुदाय द्वारा भी किया जाना चाहिए

- व्यापक अंतराल विश्लेषण के बाद नई अवसंरचना विकसित की जाएगी जो भौगोलिक मापदंडों के कारण आवश्यकता को सही ठहराती है।
- इन बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए नियम और शुल्क बनाए जाएंगे।
- खेल-विशिष्ट अंतराल को पाटने के लिए, मौजूदा बुनियादी ढांचे के उन्नयन/विस्तार का पता लगाया जाएगा।
- जमीनी स्तर और मध्यवर्ती स्तर पर, मल्टीस्पोर्ट हॉल/बहुउद्देशीय सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। विशिष्ट बुनियादी ढांचा (उत्कृष्टता केंद्र/उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र) केवल राज्य के लिए प्राथमिकता/केंद्रित खेलों में विशिष्ट एथलीट प्रशिक्षण के लिए होगा।
- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए स्टेडियम का विकास एक मजबूत योजना के साथ किया जाना चाहिए ताकि इवेंट के बाद बुनियादी ढांचे का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, यानी बुनियादी ढांचे में नियमित अंतराल पर भविष्य के इवेंट्स (खेल और गैर-खेल) की मेजबानी करने की क्षमता होनी चाहिए और/या बुनियादी ढांचे को उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में काम करने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए।

7.1 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना:

खेल विभाग खेल भागीदारी के हर स्तर पर बुनियादी ढांचे को उन्नत और विकसित करने की योजना बना रहा है -

उच्च क्षमता (एलीट)
अभिजात वर्ग
विकास संबंधी
जमीनी स्तर पर
उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)
उन्नत प्रशिक्षण केंद्र (एटीसी)
खेल नर्सरी

7.1.1. खेल नर्सरी

- मौजूदा स्कूलों (सरकारी और निजी दोनों) और पर्याप्त खेल सुविधाओं के साथ खेल अकादमियों को खेल नर्सरी के रूप में नामित किया जाएगा जो स्कूल के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
- खेल विभाग इन स्कूलों/अकादमियों में पीईटी/जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों को तैनात करने/प्रशिक्षित करने में सहायता करेगा ताकि स्कूल/अकादमियों के छात्रों और अन्य छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सके, जिन्होंने स्कूल के बाद के कार्यक्रमों में दाखिला लिया है।
- यदि स्कूल खेल शुल्क पर्याप्त नहीं है तो विभाग स्कूलों को खेल किट और उपकरण, आहार सहायता और खेल कोचों के वेतन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
- अतिरिक्त स्टैंडअलोन खेल नर्सरियों का विकास किया जाएगा। जहाँ मौजूदा स्कूलों/संस्थानों में अपेक्षित बुनियादी ढांचा नहीं है।
- प्रत्येक खेल नर्सरी में एक खेल के लिए बुनियादी प्रशिक्षण सुविधा होनी चाहिए जो राज्य के लिए उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता वाले खेलों में से एक होना चाहिए।

7.1.2. उन्नत प्रशिक्षण केंद्र (एटीसी)

- मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन या नई सुविधाओं के निर्माण के माध्यम से राज्य भर में उन्नत प्रशिक्षण केंद्र (एटीसी) स्थापित किए जाएंगे।
- पर्याप्त सुविधाओं वाले कॉलेजों **(मौजूदा 3 स्पोर्ट्स कॉलेजों सहित)** को एटीसी में बदलने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी ताकि खेल नर्सरी के प्रशिक्षुओं को शैक्षिक प्रणाली के भीतर अपनी प्रगति जारी रखने की अनुमति मिल सके।
- प्रशिक्षुओं के शैक्षणिक विकास की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एटीसी के पास इन-हाउस शिक्षा सुविधाएं या आस-पास के स्कूलों के साथ गठजोड़ किया जाएगा।
- दूर-दराज के स्थानों से आने वाले प्रशिक्षुओं को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- एटीसी खेल-विशिष्ट कोचिंग और गुणवत्ता वाले उपकरणों के माध्यम से विशिष्ट क्षमता वाले एथलीटों को उन्नत प्रशिक्षण सहायता (आवासीय और गैर-आवासीय) प्रदान करेगा।
- प्रत्येक एटीसी को राज्य के कम से कम एक प्राथमिकता वाले खेल को पूरा करना चाहिए। अनुशासन और स्थानीय कौशल की लोकप्रियता के आधार पर अतिरिक्त विषयों को प्रदान किया जा सकता है।

7.1.3. उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)

- राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य/देश का प्रतिनिधित्व करने वाले/प्रतिनिधित्व करने वाले आवासीय खिलाड़ियों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण सहायता प्रदान करने के लिए प्राथमिकता वाले खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए जाएंगे।
- अगले पांच (5) वर्षों में राज्य भर में कम से कम **14 सीओई स्थापित किए जाएंगे**, जो रणनीतिक रूप से अधिकतम भौगोलिक पहुंच सुनिश्चित करने और उच्च प्राथमिकता और प्राथमिकता वाले विषयों में प्रतिभाओं के हॉटबेड से निकटता सुनिश्चित करने के लिए स्थित हैं।
- निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाले मौजूदा केंद्रों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर एक सीओई के रूप में नामित किया जा सकता है जिसमें स्पष्ट रूप से भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया हो।
- प्रत्येक सीओई राज्य के कम से कम 2-3 उच्च प्राथमिकता/प्राथमिकता वाले खेलों को पूरा करेगा।
- इन सीओई में एफओपी अपने संबंधित विषयों में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी के मानकों को पूरा करेगा।
- खिलाड़ियों को ठहरने और रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खेल छात्रावास की व्यवस्था।

7.1.4. उच्च प्रदर्शन केंद्र (एचपीसी)

- इसका उद्देश्य विशिष्ट उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के लिए "वन-स्टॉप" शॉप के रूप में वर्णित बहु-कार्यात्मक और बहु-अनुशासनात्मक सुविधा प्रदान करना है।
- अगले पांच (5) वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में ध्यान केंद्रित करने वाले पांच (5) एचपीसी स्थापित किए जाएंगे।
- प्रत्येक एचपीसी राज्य के कम से कम उच्च प्राथमिकता वाले खेल विषयों में से एक को पूरा करेगा।

- सीओई, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) और एचपीसी के साथ साझा दक्षताओं और डेटा के साथ उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण का एक घनिष्ठ नेटवर्क स्थापित किया जाएगा।
- एचपीसी में अत्याधुनिक सुविधाएं और उपकरण, समर्पित उच्च प्रदर्शन कोच और विश्व स्तरीय खेल विज्ञान और चिकित्सा सेवा होगी।
- एचपीसी राज्य के विशिष्ट एथलीटों की पूर्ति करेगा जिनके पास अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता हासिल करने की क्षमता है।

7.2. खेल स्टेडियम

- प्रत्येक जिले में जिला खेल केंद्र बनाए जाएंगे
- नवोदित खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए नए खेल महाविद्यालयों की स्थापना करना।
- वाराणसी में 30-35000 दर्शकों के बैठने की क्षमता के साथ एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण।
- खेल शहरों का विकास करके विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठा सकेंगे।
- तहसील स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा जो उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों (एटीसी)के साथ-साथ जूनियर प्रतियोगिताओं और सामुदायिक स्तर पर सामूहिक भागीदारी कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगें। इन मिनी-स्टेडियमों में केवल उपयुक्त फील्ड ऑफ़ प्ले (FOP) और सिंगल/डबल साइड सीटिंग हो सकती है।
- मौजूदा खेल स्टेडियमों को अंतरराष्ट्रीय मानकों में अपग्रेड किया जाएगा ताकि यूपी को हाई-प्रोफाइल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के संभावित मेजबान के रूप में स्थान दिलाया जा सके।
- मौजूदा स्टेडियम के विस्तार या नए स्टेडियम के विकास की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा ताकि इन स्थानों के भीतर प्राथमिकता वाले खेलों को शामिल किया जा सके।
- स्थायी संचालन और स्टेडियमों के रखरखाव के लिए लीगेसी निजी क्षेत्र/संघों को प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई संस्था सुविधा को अपने पारिवारिक महानुभावों के नाम पर नामकरण कराना चाहते हैं तो रखरखाव की शर्त के साथ अनुमति दी जाएगी।

7.3. खेल अवसंरचना विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

- खेलो इंडिया योजना, मनरेगा की योजनाएं, युवा मामला विभाग और अन्य विभाग बुनियादी ढांचे के उन्नयन/विकास के लिए विभिन्न स्त्रोतों का कन्वर्जन्स किया जाएगा।
- मौजूदा बुनियादी ढांचे से राजस्व उत्पन्न करते हुए इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अभिनव उपयोग मॉडल तैयार किए जाएंगे।
- खेल केंद्रों में निजी सुविधाओं को सभी नागरिकों द्वारा निर्धारित शुल्क पर उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और शुल्क जिला खेल प्रोत्साहन समिति के खाते में जमा किया जाएगा जो इन निधियों का उपयोग संपत्ति के रखरखाव के लिए करेगा।

- कॉरपोरेट्स, खेल संघों, निजी खेल अकादमियों और खेल निकायों के साथ भागीदारी को खेल के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण और व्यावसायिक उपयोग और नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहयोग/अनुबन्ध करने के लिए आक्रामक रूप से लक्षित किया जाएगा।
- राज्य में उपलब्ध मौजूदा खेल सुविधाओं के उपयोग में सुधार पर ध्यान दिया जाएगा।

8. खेल और शारीरिक गतिविधि की संस्कृति को बढ़ावा देना

अधिकांश आबादी के सामने वर्तमान चुनौतियों का सामना शारीरिक निष्क्रियता और गतिहीन जीवन शैली से होता है। खेल विभाग यह सुनिश्चित करने का इच्छुक है कि यूपी राज्य खेल और शारीरिक गतिविधियों में नियमित भागीदारी के माध्यम से शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली अपनाए। राज्य भर में इस तरह के बड़े पैमाने पर आंदोलन को लागू करने के लिए, साझा दक्षताओं का लाभ उठाने और पहुंच बढ़ाने के लिए सही हितधारकों के साथ सहयोग करना अनिवार्य है। यह नीति स्कूली छात्रों, कामकाजी पेशेवरों, वरिष्ठ नागरिकों और समुदाय के अन्य सदस्यों के लिए खेल में भागीदारी को व्यापक तरीके से संबोधित करेगी।

8.1. स्कूलों में खेल भागीदारी

खेल विभाग और शिक्षा विभाग राज्य के सभी स्कूलों के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम के भीतर खेल को एकीकृत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। प्रत्येक स्कूली छात्र को प्रतिदिन कम से कम 60 मिनट के खेल/फिटनेस गतिविधि में संलग्न करने के उपाय किए जाने चाहिए। प्रत्येक छात्र को एक प्राथमिक खेल का चयन करना चाहिए और स्कूल में रहते हुए दो अतिरिक्त खेल खेलना सीखना चाहिए।

यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 के तहत प्रयास किया जाएगा -

- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यक्रम में योग और शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के लिए शिक्षा नीतियों/योजनाओं में संशोधन।
- संबंधित इलाके के स्कूलों द्वारा बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए स्थानीय निकायों, क्लबों / अकादमियों, अन्य बुनियादी ढांचे के मालिकों के साथ समन्वय (जहां स्कूलों के पास अपना खेल का मैदान / खेल सुविधाएं नहीं हैं)।
- छात्रों/छात्राओं को खेल विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम पीईटी को प्रशिक्षित करेंगे। इस संबंध में, खेल विभाग ई-लर्निंग और आभासी कक्षाओं जैसे नवीन तरीकों का उपयोग करते हुए पीईटी के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए खेल संघों या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के साथ सहयोग करेगा।
- स्कूलों में खेलों हेतु विद्यार्थियों से ली गई फीस का लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा यदि धनराशि कम रहती है तो खेल उपकरण का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा और खेल या निजी क्षेत्र की भागीदारी में मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा।
- पीईटी कोचों को मानदेय दिया जाएगा।

सामुदायिक प्रशिक्षकों के रूप में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक पीईटीएस को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रित पहल विकसित की जाएगी जो न केवल बुनियादी खेल कौशल सिखा सकते हैं बल्कि एक सुरक्षित वातावरण बनाकर प्रतिभागियों को भी शामिल कर सकते हैं। पीईटीएस का प्रशिक्षण खेलो इंडिया के तहत सामुदायिक कोच विकास और खेलो इंडिया ई-पाठशाला के माध्यम से सुरूचिपूर्ण किया जा सकता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की पहल की जाएगी। साथ ही उन स्कूलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा जो अपने पाठ्यक्रम में खेल शिक्षा को बढ़ावा देते हैं और छात्रों को खेल का बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।

फिट-यूपी आंदोलन के तहत विकसित की गई पहलों को सभी प्रासंगिक आयु समूहों - बच्चों, वयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूरे राज्य में व्यापक रूप से प्रचारित और कार्यान्वित किया जाएगा। स्कूलों को फिट-यूपी प्रमाणन कार्यक्रम के लिए नामांकन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और राज्य के प्रत्येक स्कूल में स्कूली बच्चों का शारीरिक मूल्यांकन किया जाएगा। विभाग आयु-उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल के अनुसार शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होने को बढ़ावा देगा।

9. खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए पुरस्कार और प्रोत्साहन

यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी का उद्देश्य खिलाड़ियों की भागीदारी संबंधी आवश्यकताओं और उनके खेल करियर के दौरान और बाद में उनकी समग्र भलाई को पूरा करना है। इसलिए खिलाड़ियों को पुरस्कार/प्रोत्साहन/सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न पहल की जाएगी ।

9.1 पुरस्कार राशि

खिलाड़ियों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में उनके प्रदर्शन के लिए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार राशि खिलाड़ी के लिए एक प्रेरणा होगी और युवा पीढ़ी को खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं और प्रतिभागियों दोनों के लिए राज्य एथलीटों के लिए लागू पुरस्कार राशि डीओएसयूपी द्वारा उपलब्ध कराए गए मौजूदा नीति प्रावधानों के अनुरूप होगी।

9.2 वार्षिक राज्य खेल पुरस्कार

राज्य सरकार खिलाड़ियों के प्रदर्शन को रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मण पुरस्कार और जूनियर खिलाड़ियों को लव कुश पुरस्कार से सम्मानित करती रही है। राज्य उन जूनियर खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेगा जो वर्ष के दौरान शानदार प्रदर्शन करेंगे। जूनियर या सीनियर स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों को भी सम्मानित किया जाएगा।

जबकि खिलाड़ी खेल पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं, वहीं कई अन्य हितधारक भी हैं जो एथलीटों को उनकी उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करते हैं। इसलिए, विभाग न केवल व्यक्तिगत एथलीटों के लिए, बल्कि टीमों के लिए और उत्कृष्टता प्राप्त करने में खिलाड़ियों का समर्थन करने वाले कर्मियों के लिए भी वार्षिक पुरस्कारों की संख्या में वृद्धि करेगा।

सर्वश्रेष्ठ टीम (जूनियर या सीनियर टीम हो सकती है)
सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग एथलीट (लड़का और लड़की: अंडर-18)
सर्वश्रेष्ठ कोच
सर्वश्रेष्ठ खेल विज्ञान कर्मचारी (डॉक्टर/फिजियोथेरेपिस्ट/फिजियोलॉजिस्ट/न्यूट्रिशनिस्ट)
सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड स्टाफ (खेल सुविधाओं के सर्वोत्तम रखरखाव के लिए)
सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार

9.3 स्वास्थ्य बीमा कवर

आयुष्मान योजना के तहत यूपी खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच और खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को 5,00,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर किया जाएगा। इन सभी कर्मियों को पर्याप्त कवरेज के साथ व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी द्वारा भी कवर किया जाएगा। पर्याप्त बीमा कवर वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में शामिल लोगों की मदद करेगा। किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने या

प्रशिक्षण के लिए विदेश यात्रा करते समय सभी कर्मियों, कोचों और सहायक कर्मचारियों को यात्रा बीमा द्वारा कवर किया जाएगा।

9.4 खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना

खिलाड़ी स्पोर्ट्स इको सिस्टम की रीढ़ हैं, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनके खेल करियर के बाद भी उनकी वित्तीय भलाई का ध्यान रखा जाए। सभी खिलाड़ी जिन्होंने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तर और उससे ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व किया है, वे खिलाड़ियों के लिए राज्य पेंशन योजना का हिस्सा होंगे। इन खिलाड़ियों को जिस स्तर पर उन्होंने भाग लिया उसके आधार पर उन्हें मासिक पेंशन दी जाएगी।

9.5 पूर्व खिलाड़ियों और कोचों के लिए आपातकालीन कोष निधि का प्रावधान

विभाग पूर्व खिलाड़ी या कोचों या उनके परिवार के सदस्यों के लिए आपातकालीन या अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी के लिए एक अलग फंड बनाए रखेगा। ऐसे परिदृश्य में सहायता केस-टू-केस आधार पर प्रदान की जाएगी। निजी संगठन इस फंड में अपनी सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में योगदान कर सकते हैं।

एकलव्य योजना के तहत खेल विभाग प्रशिक्षण व प्रतियोगिता के सौरण लगने वाली चोटों के लिए 5 लाख रुपए तक इलाज का खर्च उठाएगा।

9.6 सरकारी नौकरियों की भर्ती में खेल कोटा और एथलीटों के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश-

विभाग समझता है कि सर्वोत्तम प्रयास करने के बावजूद, सभी उभरते हुए खिलादियों को उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकेगा। उनकी भलाई के लिए **कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत ''उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाडियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 में कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियों , राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह 'ग' के पदों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा उत्कृष्ट खिलाडियों के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।** इससे खिलाड़ियों को अपना भविष्य सुरक्षित करने में मदद मिलेगी और युवा पीढ़ी को खेलों को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करेगा।

-शासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु मेधावी खिलाड़ियों को वरीयता दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश (बोनाफाइड डोमिसाइल) के मूल निवासी जिन्होंने ओलंपिक, विश्व कप/विश्व चैम्पियनशिप (04 साल के अंतराल पर होने वाली), एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीते हैं, उन्हें सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न विभागों के तहत राजपत्रित पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

9.7 खेलकूद पाठ्यक्रम शुरू करने में व्यक्तियों और खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता

विभाग उन व्यक्तियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ द्वारा रेफरी या कोच या स्कोरर बनने के लिए कोई प्रमाणन कार्यक्रम ले रहे हैं। (जैसे आईटीएफ स्तर 3 स्थानापन्न पाठ्यक्रम)। विभाग उन पूर्व खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो खेल प्रबंधन/खेल विश्लेषण/खेल चिकित्सा इत्यादि जैसे शिक्षा कार्यक्रम लेने के इच्छुक हैं। पाठ्यक्रम की फीस सरकार द्वारा वापस कर दी जाएगी।

9.8 खिलाड़ियों के लिए अपस्किलिंग कार्यक्रम

यह समझा जा सकता है कि सभी खिलाड़ी उच्चतम स्तर पर जगह नहीं बना सकते हैं। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि खिलाड़ी जितना संभव हो सके प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें अपनी शिक्षा और

अन्य कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए। विभाग विभिन्न प्रशिक्षण या कार्यक्रमों द्वारा एथलीटों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा जो उनके खेल के दिनों में और खेल के कैरियर से परे उनकी मदद करेगा।

- व्यक्तित्व विकास से जुड़े पाठ्यक्रम और कार्यक्रम विभाग द्वारा विकास के विभिन्न चरणों में आयोजित किए जाएंगे।
- विभाग उन खिलाड़ियों को भी प्रायोजित करेगा जो कौशल विभाग द्वारा चलाए जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक हैं।
- खेल विश्वविद्यालय खिलाड़ियों को खेल शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह सक्रिय भुगतान वाले करियर से खेल के बाद के करियर में सुगम बदलाव सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया जाएगा।
- हमारे खिलाड़ियों की समग्र भलाई सुनिश्चित करने के लिए, विभाग खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा।
- खेलकूद के प्रति संकल्प को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा खेल शिक्षा में फेलोशिप प्रदान करने के लिए **एकलव्य खेल निधि नियम 2021 जारी किया गया है।**

10. आयोजनों और प्रतियोगिताओं की मेजबानी और संचालन

खेलों के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन अत्यंत आवश्यक है। जबकि यह खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव प्रदान करता है, यह प्रशिक्षकों और प्रशासन के लिए युवा प्रतिभाओं की पहचान करने और भविष्य के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने का एक शानदार अवसर है। विभाग अपनी वार्षिक खेल आयोजन संपत्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और अगले 5 वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों की मेजबानी करने पर भी विचार कर रहा है। एक वर्ष में कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन और एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल आयोजन किया जाएगा।

10.1. सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम:

खेल और शारीरिक गतिविधियों में समुदाय के सदस्यों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि नागरिकों की शारीरिक भलाई का क्षेत्र के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कोविड 19 महामारी के बाद से शारीरिक भलाई के बारे में जागरूकता में भारी वृद्धि देखी गई है। खेल और व्यायाम के निरंतर, अनुशासित अभ्यास को सुनिश्चित करने के लिए विभाग नियमित आधार पर सामुदायिक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेगा।

-खेल और शारीरिक गतिविधियों से संबंधित नियमित आयु-उपयुक्त सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों/प्रतियोगिताओं का आयोजन।

- वॉकथॉन, साइक्लोट्रॉन, 10k रन आदि जैसे बड़े पैमाने पर खेल भागीदारी कार्यक्रमों का आयोजन।
- निजी भागीदारों के सहयोग से स्थानीय/राष्ट्रीय हस्तियों के साथ डिजिटल सामग्री का उत्पादन, वस्तुतः व्यक्तियों को संलग्न करने के लिए - या तो वीडियो ट्यूटोरियल या चुनौतियों के रूप में।

10.2 वार्षिक बहु-खेल आयोजन:

विभाग अंडर -12, अंडर -14, अंडर -16 और अंडर -18 आयु समूहों सहित अपने स्वयं के कई खेल आयोजनों का शुभारंभ करेगा। यह कार्यक्रम गांव और स्कूल स्तर से और राज्य स्तर तक सभी तरह से आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवा खिलाड़ियों को एक्सपोजर दिया जा सके।

इस आयोजन में लड़कों और लड़कियों के लिए उल्लिखित आयु वर्ग के खेल विषय शामिल होंगे। राज्य स्तर पर व्यक्तिगत खेलों में विजेताओं को स्काउट्स/प्रदर्शन प्रबंधकों की सिफारिश के आधार पर राज्य की खेल अकादमियों में सीधे प्रवेश दिया जाएगा।

यूपी के वार्षिक मल्टीपलखेल आयोजनों के लिए खेल विषयों की सांकेतिक सूची

आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबाल, बॉक्सिंग, शतरंज, साइक्लिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, खो-खो, रोइंग, शूटिंग, स्केटिंग, स्क्वाश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, वॉलीबाल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, वुशू, योगासन, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा स्विमिंग, पैरा शूटिंग, पैरा टेबल टेनिस, इंडीजीनियस गेम-1, इंडीजीनियस गेम-2।

10.3. राष्ट्रीय कार्यक्रम

विभाग का इरादा अगले पांच वर्षों में एकल खेल और विभिन्न खेल आयोजनों की मेजबानी करने का है। बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी भविष्य में अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए एक अच्छा आधार है। राज्य भारतीय खेल प्राधिकरण और संबंधित खेलों के राज्य संघों के साथ मिलकर काम करेगा। राज्य नीचे बताए अनुसार राष्ट्रीय स्तर के कुछ कार्यक्रमों की मेजबानी करने का इरादा रखता है:-

-एसजीएफआई आयोजनों के विभिन्न इवेंट

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स
- वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, तैराकी आदि जैसे विभिन्न खेलों के जूनियर और सीनियर नेशनल
- उत्तर प्रदेश में आयोजनों की मेजबानी करने के लिए आईपीएल, पीकेएल, एचआईएल आदि जैसी निजी लीगों को अनुमति देना और उनका समर्थन करना।

10.4. अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी:

राज्य एकल-खेल अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की मेजबानी करना चाहता है और भविष्य में मेगा मल्टी-स्पोर्ट्स अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने के लिए अनुभव और विशेषज्ञता का निर्माण करना चाहता है।

राज्य विभिन्न जूनियर और वरिष्ठ स्तर के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करना चाहता है जैसे:

- एशियाई जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप
- विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप
- वरिष्ठ पुरुष/महिला विश्व कप/अन्य खेलों की चैंपियनशिप

11. खेल के माध्यम से समावेश को बढ़ावा देना

उत्तर प्रदेश खेल विभाग वास्तव में "सभी के लिए खेल" में विश्वास करता है और इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे कि समाज का कोई भी वर्ग खेलों का अनुभव करने से पीछे न रहे।

11.1 महिलाओं की भागीदारी:

पिछले कुछ दशकों में, भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में अपनी महिला खिलाड़ियों की भागीदारी में वृद्धि देखी है। 2012 के बाद से भारत ने ओलंपिक में जो 15 पदक जीते हैं, उनमें से 7 पदक भारतीय

महिला एथलीटों ने जीते हैं। इसलिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना बहुत जरूरी है जिसमें महिलाओं को समान अवसर मिले। महिलाओं को खेलों में शामिल करने के लिए विभाग निम्नलिखित कदम उठाएगा:-

-शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र कार्यक्रम शुरू करेंगे ताकि अधिक संख्या में महिला पीई शिक्षक हों जिन्हें स्कूलों में नियुक्त किया जा सके।

- अगले 5 वर्षों में सभी जिलों में विशेष रूप से लड़कियों के लिए नर्सरी स्तर की खेल अकादमियां शुरू करेंगे।
- मुख्य केंद्रों पर महिला खिलाड़ियों के लिए अलग छात्रावास भवन हो।
- आत्मरक्षा कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को प्रशिक्षण देना।
- प्रत्येक ग्राम पंयायत में महिला मंगल दलों को प्रेरित करना।

11.2 पैरा स्पोर्ट्स पर फोकस:

विभाग न केवल अन्य लोगों की तरह पैरा एथलीटों को प्रोत्साहित करता है, बल्कि राज्य में एक मजबूत पैरा स्पोर्ट्स इको सिस्टम बनाने का भी इरादा रखता है। पैरा स्पोर्ट्स और पैरा-एथलीट को विभाग की हर योजना में शामिल किया जाएगा। राज्य में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विभाग निम्नलिखित कदम उठाएगा:

-छात्रावास सहित सभी राज्य के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं में दिव्यांगों के अनुकूल बुनियादी ढांचा होगा।

-सभी राज्य के स्वामित्व वाले खेल केंद्रों/अकादमियों में पैरा खिलाड़ियों के लिए कोटा होगा।

-पैरा एथलीटों के लिए कई खेलों में उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

-राज्य द्वारा पैरा स्पोर्ट्स के लिए विशेष प्रशिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

-नेत्रहीन एवं बधिर खेलों के लिए भी राज्यों में सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

-डेफ स्पोर्टस, ब्लाइंडस स्पोर्टस एवं स्पेशल स्पोर्टस के खिलाडियों को भी पैरा ओलम्पिक खिलाडियों के भॉति दी जा रही सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी।

11.3 ग्रामीण क्षेत्रों की भागीदारी:

ग्रामीण क्षेत्रों के लोग स्वाभाविक रूप से फिट और पुष्ट होते हैं। बुनियादी सुविधाओं, कोचिंग और अनुभव की कमी के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के एथलीट अवसरों से चूक जाते हैं। यदि उन्हें सही प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएं तो वे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाओं की पहचान करने और उनका पोषण करने के लिए सभी उपाय करने का इरादा रखता है ताकि उन्हें खेलों में उच्चतम स्तर पर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों के युवा एथलीटों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित पहल की जाएगी:

-विविध खेलों में ग्रामीण खेलों का आयोजन।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्यार्थियों वाले विद्यालय में प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा की नियुक्ति।
- खेलो इंडिया सेंटर जैसी योजनाओं के माध्यम से खेल अकादमियों की स्थापना के लिए योग्य प्रशिक्षकों का समर्थन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा खोज का आयोजन तथा खेल अकादमियों में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान एवं इन खेल अकादमियों का वित्त पोषण भी किया जाएगा।

11.4 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना:

भारत समृद्ध खेल इतिहास वाला देश है। ऐसे कई खेल और खेल हैं जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है जैसे बैडमिंटन, शतरंज, खो-खो, कबड्डी और पोलो। जबकि ये खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए हैं। ऐसे कई भारतीय प्राचीन खेल हैं जिन्हें लोकप्रिय नहीं बनाया गया है। विभाग ऐसे खेलों का समर्थन करने और निम्नलिखित कदम उठाकर खेल और उन खेलों के एथलीटों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है:

-उन अकादमियों को अनुदान, जो प्रशिक्षकों को किराए पर लेने और उपकरण खरीदने के लिए स्वदेशी खेलों में प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

-देशी खेलों को राज्य स्तरीय बहु खेलकूद आयोजनों में शामिल करना।

- स्वदेशी खेलों को शामिल करने के इच्छुक स्कूलों को उपकरण के लिए वित्त पोषण द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

11.5 जल क्रीड़ाओं का संवर्धन

एक भूमि से घिरा राज्य होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में पवित्र नदी गंगा की 1450 किलोमीटर लंबी पट्टी है। प्रदेश की प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, रामगंगा, चंबल, गोमती, घाघरा, गंडक) पर स्थित प्रमुख जिलों में प्रतियोगिता एवं साहसिक खेलों का आयोजन किया जा सकता है। गंगा नदी में नौकायन और कैनोइंग जैसी जल क्रीड़ा गतिविधियाँ की जा सकती हैं। सरकार उन स्थानों की पहचान करेगी जहां ये गतिविधियां की जा सकती हैं। गंगा नदी में जेट स्की और पैरासेलिंग जैसी साहसिक गतिविधियां भी की जा सकती हैं। इन साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी और पर्यटकों को इन स्थानों पर जाने के लिए आकर्षित किया जाएगा।

12 खेल उद्योग विकास

खेल विभाग उत्तर प्रदेश राज्य में एक फलते-फूलते खेल उद्योग के विकास पर केंद्रित पहलों की अवधारणा और कार्यान्वयन का प्रयास करेगा। हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों में से एक खेल विकास पहल में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना शामिल होगा। इसके अलावा, राज्य में खेल उपकरण के लिए विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने और खेल क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जाएंगे।

12.1. खेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना: उत्तर प्रदेश में खेलों के लिए हाई अडॉप्शन और जुड़ाव को सक्षम करना

नीचे दी गई जानकारी इंगित करती है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक समग्र खेल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रचार और विकास में खेल प्रौद्योगिकी की भूमिका हो सकती है:

-आगे बढ़ते हुए, खेल संगठन तेजी से मल्टी-चैनल डिजिटल समाधानों में निवेश करने पर विचार करेंगे, जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और संवर्धित/आभासी वास्तविकता, जो प्रशंसको के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और साल भर प्रशंसक-सहभागिता के अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं।

-खेल प्रौद्योगिकी के 2024 तक वैश्विक स्तर पर 31.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार होने का अनुमान है। हालांकि यह भारत में अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन पिछले चार वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। उद्योग ट्रैकर स्पोर्ट्स टेकएक्स के अनुसार, 2015 से भारत में 360 ऑपरेशनल स्पोर्ट्स टेक कंपनियों में से 63 प्रतिशत से अधिक की स्थापना की गई है।

-भारतीय खेल प्रशंसकों के अपने बड़े बाजार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और इंजीनियरिंग प्रतिभा की उपलब्धता को देखते हुए, भारत खेल प्रौद्योगिकी में विकास के इंजन और इस क्षेत्र के लिए एक वैश्विक

केंद्र बनने के लिए अच्छी तरह से स्थापित है। भारत में लगभग 90 प्रतिशत खेल प्रशंसकों का मानना है कि खेलों में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग ने उनके समग्र अनुभव को बढ़ाया है।

-भारत में लगभग 88 प्रतिशत खेल प्रशंसकों ने समग्र अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भौतिक स्टेडियमों में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर भी ध्यान दिया। उनके तकनीकी-सक्षम अनुभव का आनंद लेने वाले प्रशंसकों ने कहा कि वे वास्तव में अपनी टीम के स्टेडियम में अधिक मैचों को देखने जाएंगे। इसके अलावा, डेटा एनालिटिक्स और डीप लर्निंग खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और प्री-मैच और पोस्ट-मैच विश्लेषण करने में बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं।

-खेल प्रौद्योगिकी के कुछ प्रमुख खंडों में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं:

स्ट्रीमिंग, वीडियो सामग्री और आभासी अनुभव: रिपोर्ट और अध्ययनों से पता चला है कि स्ट्रीमिंग, वीडियो और आभासी अनुभव प्लेटफॉर्म खेलों के लिए जुड़ाव के स्तर को बढ़ाते हैं। वास्तव में, ऐसी तकनीकों के उपयोग से एथलीट के विकास पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। प्रशिक्षण सत्र और मैचों की समीक्षा में आभासी वास्तविकता का उपयोग एथलीट के प्रदर्शन पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

फैन एंगेजमेंट: फैन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म दर्शकों की संख्या और खेलों को अपनाने के लिए सिद्ध हुए हैं, विशेष रूप से गैर-मुख्यधारा के खेल जैसे कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। खेल के विकास के लिए प्रशंसको का जुड़ाव एक महत्वपूर्ण कारक है और इस तरह के प्रशंसक जुड़ाव प्लेटफार्मों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की खेल लीगों तक अधिक पहुंच ने देश में कई गैर-मुख्यधारा की खेल गतिविधियों में रुचि बढ़ा दी है। इसने खेल उद्योग के लिए बहुत जरूरी प्रायोजन और कॉर्पोरेट संरक्षण को आकर्षित किया है।

खेल वाणिज्य: खेल वाणिज्य खेल अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल वाणिज्य का विकास भारतीय खेल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि खेल शामिल सभी हितधारकों के लिए लाभकारी बना रहे। स्पोर्ट्स कॉमर्स स्थानीय उद्यमियों के लिए खेल उद्योग में नया करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के नए अवसर भी प्रस्तुत करता है।

खेल पर्यटन: पर्यटन और खेल परस्पर जुड़े हुए हैं और पूरक हैं। खेल पर्यटन पर्यटन के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यदि गंतव्य ब्रांडिंग, बुनियादी ढांचे के विकास और अन्य आर्थिक और सामाजिक लाभों के संदर्भ में सफलतापूर्वक लाभ उठाया जाए तो ओलंपिक और विश्व कप जैसे मेगा खेल आयोजन पर्यटन विकास के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। खेल पर्यटन को सुविधाजनक बनाने वाले प्रौद्योगिकी मंच समग्र खेल उद्योग में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पहनने योग्य और अन्य: खेलों में अधिक व्यक्तिगतकरण और निजीकरण की बढ़ती मांग का मतलब है कि प्रौद्योगिकी अब एथलीट विकास और प्रदर्शन में वृद्धि का एक अभिन्न अंग है। पहनने योग्य और एलओटी सेंसर कोच और एथलीटों को प्रदर्शन पर उद्देश्य बेंचमार्क सेट करने और खिलाड़ी की प्रोफाइल बनाने की अनुमति देते हैं।

खेल के साथ मेटावर्स, वेब3 और ब्लॉकचैन का एकीकरण: वेब3 और एनएफटी ने खेलों में क्रांति ला दी है और समग्र खेल अनुभव को बढ़ाने के लिए सिद्ध हुए हैं। अंतर्निहित तकनीक के माध्यम से, प्रशंसकों का जुड़ाव और अनुभव नए सेगमेंट को अनलॉक करेगा। प्रौद्योगिकी की विकेंद्रीकृत प्रकृति एथलीटों और लीग दोनों के लिए नई और प्रभावी राजस्व धाराएं प्रदान करती है।

12.2 उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष का निर्माण

खेलों का समग्र विकास मुख्यतः वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा हर साल बजट आवंटन में वृद्धि की जाती है, लेकिन राज्य में खेलों के विकास के लिए कॉर्पोरेट फंड जुटाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। खेल को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कॉर्पोरेट्स की भागीदारी का प्रयास किया जाएगा तथा प्रेरित किया जाएगा।

इन प्रयासों में, राज्य सरकार 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाएगी। धन का उपयोग मुख्य रूप से खेल उपकरण समर्थन, विदेशी प्रदर्शन यात्राएं, विदेशी प्रशिक्षण शिविर, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और विदेशी कोचों जैसे विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सहायक होनहार खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा।

12.3. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को बढ़ावा देना

राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण के साथ, विभाग एक व्यापक सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/पब्लिक एसोसिएशन पार्टनरशिप (पीएपी)/पब्लिक फेडरेशन पार्टनरशिप (पीएफपी) फ्रेमवर्क और निजी क्षेत्र और खेल संघों के साथ राजस्व बंटवारे के मॉडल के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर के संघ से जुड़ने के लिए दिशा-निर्देश लेकर आएगा। राज्य सरकार राजस्व बंटवारे के आधार पर खेल संघों को स्टेडियम/प्रशिक्षण केंद्र आदि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। विभाग खेल विकास एजेंडे की सहायता के लिए निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए एक व्यापक रणनीति और संचार योजना तैयार करेगा।

- सरकार से वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) सहायता के साथ खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण। निजी संस्था बुनियादी ढांचे के नामकरण के अधिकार को बरकरार रख सकती है
- सीओई और एचपीसी की स्थापना और संचालन जिसमें राज्य सरकार द्वारा चयनित खिलाड़ियों को तकनीकी जानकारी और सहायता प्रदान की जा सकती है। इस हेतु, इस कोष में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली राज्य टीमों के लिए प्रायोजन
- पीपीपी/पीएपी/पीएफपी का उपयोग एचपीसी, सीओई और एटीसी के विकास और प्रबंधन के लिए किया जाएगा ताकि राज्य में विश्व स्तरीय खेल सुविधा स्थापित करने में निजी क्षेत्र की दक्षता और विशेषज्ञता का लाभ खेलों के विकास हेतु उठाया जा सके।

12.4. सीएसआर फंड का लाभ उठाना

विभाग कॉर्पोरेट संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा जो कॉर्पोरेट इकाई के लिए संभावित दृश्यता प्रदान करते हुए खेल विकास उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए समन्वय में खेल विकास पहलों के लिए संभावित सीएसआर भागीदार हैं। परियोजनाएं पात्र सीएसआर क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव, प्रशिक्षण, और एथलीटों के लिए प्रतिस्पर्धा भागीदारी समर्थन (खेल विज्ञान और चिकित्सा सहायता सहित) आदि के साथ संरेखित होंगी। जागरूकता बढ़ाने के लिए संभावित भागीदारों से संपर्क करने और खेल विकास पहल के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए संचार और विपणन सामग्री तैयार की जाएगी।

12.5. खेल-आधारित स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन सेल

विभाग एक इनक्यूबेशन सेल स्थापित करेगा जो स्पोर्ट्स इको सिस्टम की जरूरतों के लिए प्रासंगिक उत्पादों और समाधानों को विकसित करने वाले स्टार्ट-अप को समर्थन और बढ़ावा देगा। उत्पाद/समाधान प्रौद्योगिकी, डेटा विश्लेषण, सामग्री विज्ञान आदि के क्षेत्र में हो सकता है।

विभाग आईआईएम-लखनऊ, आईआईटी-कानपुर, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएएनआईटी) आदि जैसे संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगा ताकि खेल उद्योग के भीतर एक स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीकी सहायता, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण प्राप्त किया जा सके।

12.6. खेल उपकरण निर्माण को बढ़ावा देना

खेल विभाग, उद्योग निदेशालय के सहयोग से, राज्य के भीतर खेल के सामान के निर्माण को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए एक रणनीति तैयार करेगा। यूपी में पहले से ही मेरठ में एक संपन्न खेल सामग्री क्लस्टर है जिसे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीति के तहत कुछ प्रोत्साहनों द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। यूपी को देश में स्पोर्ट्स गुड्स प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने के लिए अतिरिक्त क्लस्टर भी स्थापित किए जाएंगे। विभाग राज्य से खेल सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देने का भी प्रयास करेगा।

12.7. खेल विश्वविद्यालय

सरकार राज्य में निजी खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को भी प्रोत्साहित करेगी। खेल प्रबंधकों, खेल विज्ञान व्यवसायियों और प्रशासकों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी स्थापित किए जाएंगे। ये विश्वविद्यालय खेल प्रबंधन, खेल विज्ञान, खेल चिकित्सा, खेल कानून और समाजशास्त्रीय विषयों के लिए एक अनुसंधान केंद्र के रूप में भी काम करेंगे। ये विश्वविद्यालय सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के खेल पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि सहयोगी अध्ययन तैयार किया जा सके और ऐसे समाधान विकसित किए जा सकें जो समग्र रूप से खेल उद्योग को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकें। खेल पत्रकारिता, खेल विपणन, खेल विज्ञान, खेल कानून, खेल प्रबंधन, खेल डेटा विश्लेषण और खेल प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएंगे।

12.8. खेलों में रोजगार को बढ़ावा

विभाग दोतरफा दृष्टिकोण अपनाकर खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करेगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य को योग्य खेल प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पूल बनाने में मदद करेगी, जिनके पास अपने खेल विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक और निजी संगठनों की सहायता करने के लिए प्रासंगिक कौशल होगा। समानांतर में, विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को यूपी में लाने के लिए खेल संघों के साथ सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी और सेवा प्रदाताओं की अधिकता होगी। खेल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक मजबूत और आधुनिक प्रशासनिक संरचना सुनिश्चित करके, कई योग्य कर्मियों को खेल विकास संगठनों और शासी निकायों के साथ भी जोड़ा जाएगा।

12.9 ई-स्पोर्ट्स

जैसे-जैसे दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, ई-स्पोर्ट्स को विश्व स्तर पर खेल और प्रतियोगिता के भविष्य के रूप में पहचाना जा रहा है, और इसने लाखों खिलाड़ियों, दर्शकों और उत्साही लोगों को आकर्षित किया है। ई-स्पोर्ट्स की लोकप्रियता ने इसे एशियाई खेलों 2022 जैसे मुख्यधारा के खेल आयोजनों में ला दिया है, जहां भारत ई-स्पोर्ट्स मेडल इवेंट में भाग लेने वालों में से एक होगा।

ई-स्पोर्ट्स युवाओं तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण साधन है और मीडिया व्यवसायों, खेल उत्पादकों और खेल संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है। एक स्वस्थ वातावरण और विकसित खेल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता को महसूस करते हुए, उत्तर प्रदेश खेल विभाग, आधिकारिक तौर पर

अपनी खेल नीति में ई-स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल पूरे राज्य के साथ-साथ भारत में भी ई-स्पोर्ट्स और गेमिंग उद्योग के समर्थन के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक कदम है।

ई-स्पोर्ट्स को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित उपाय करने का इरादा रखता है:

1. ई-स्पोर्ट्स को शुरू करने और बढ़ावा देने के लिए स्कूल/कॉलेज स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम को सुगम बनाना।
2. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ई-स्पोर्ट्स पारिस्थितिकी तंत्र को समझकर एक प्रतिभा पहचान और प्रतिभा विकास मॉडल विकसित करना।
3. राज्य में एक ई-स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं का समर्थन करना, जिसमें हर जिले में ई-स्पोर्ट्स एथलीटों के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा होगा।
4. सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थी योजनाओं में ई-स्पोर्ट्स एथलीटों को चरणबद्ध रूप से शामिल करना।
5. राज्य में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ई-स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं/लीगों का आयोजन/मेजबानी करना।
6. ई-स्पोर्ट्स एथलीटों के लिए एक प्रोत्साहन और इनाम से संबंधित संरचना बनाना।
7. प्रशिक्षकों/कोचों के लिए कौशल और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रावधान।

ई-स्पोर्ट्स की जबरदस्त क्षमता को देखते हुए, यूपी सरकार का लक्ष्य देश में प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स के विकास को गति देना है।

13 कार्यान्वयन और निगरानी

नीति के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए सरकार एक स्वायत्त निकाय (राज्य खेल प्राधिकरण) का गठन करेगी। नीति में उल्लिखित सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए सरकार इस स्वायत्त निकाय को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस निकाय के मुख्य कार्य होंगे -

- नीति को क्रियान्वित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करना।
- खेल मंत्री की अध्यक्षता में और वरिष्ठ अधिकारियों और पूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों और कोचों को शामिल करते हुए नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन।
- नीति में उल्लिखित विभिन्न योजनाएं शुरू करें जैसे कि जमीनी स्तर, विकासात्मक और उच्च क्षमता के खिलाड़ियों के लिए योजनाएं।
- नीति के विजन को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति और एजेंसियों को काम पर रखना।
- राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की योजना, निर्माण, अधिग्रहण, विकास, अधिग्रहण, प्रबंधन, रखरखाव और उपयोग।
- खिलाड़ियों और खिलाड़ियों के विकास के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का वित्त पोषण और उपयोग करना।
- सीएसआर के माध्यम से धन प्राप्त करना।
- मंत्रालय और विभिन्न हितधारकों जैसे साई और राष्ट्रीय और राज्य संघों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना।

14 निष्कर्ष

यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को यूपी को स्पोर्ट्स प्रमोशन और डेवलपमेंट में एक लीडर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नीति में उल्लिखित पहलों और विचारों के कार्यान्वयन से खेल कौशल के एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें यूपी को चैंपियन राज्य के रूप में मान्यता दी जा सकेगी, और एक ऐसे राज्य के रूप में भी जो खेल को अपनी सक्रिय जीवन शैली के हिस्से के रूप में अपनाएगा। नीति में पहलुओं को संबंधित हितधारकों/एजेंसियों द्वारा योजनाओं और परिचालन दिशानिर्देशों के रूप में और विस्तृत किया जाएगा और मौजूदा व भविष्य में कार्यान्वयन एक सहयोगी, बहु-हितधारक मॉडल में राज्य के स्पोर्ट्स इको सिस्टम में सुधार के लिए किया जाएगा।

2- उपर्युक्त बिन्दु- 1 से 14 तक वर्णित उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 पर निम्नांकित विभागों का अभिमत प्राप्त कर लिया गया है, जो निम्नवत् है :-

वित्त विभाग का अभिमत :-

उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।

न्याय विभाग का अभिमत :-

प्रश्नगत मामला स्पोर्टस प्रमोशन एवं डेवलपनमेण्ट में उत्तर प्रदेश को एक लीडर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। प्रश्नगत मामला नीतिगत है। विभाग द्वारा किसी विशिष्ट विधिक बिन्दु का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः न्याया विभाग द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद हेतु टिप्पणी पर अनापत्ति प्रदान की गयी है।

कार्मिक विभाग का अभिमत :-

प्रशासकीय विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति , 2023 के प्रख्यापन किये जाने के संदर्भ में मा0 मंत्रि-परिषद के लिए तैयार की गयी उक्त टिप्पणी के बिन्दु संख्या-9.6 पर कार्मिक विभाग से संबंधित बिन्दु है।

उक्त बिन्दु के संबंध में उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी विभागों की सेवाओं में समूह 'ग' के पदों पर उत्कृष्ट खिलाडियों की भर्ती सुनिश्चित किये जाने के दृष्टि से कार्मिक विभाग द्वारा ''उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाडियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 को अधिसूचना संख्या-3/47-का-2-2022 दिनांक 07 जनवरी, 2022 प्रख्यापित की गयी है, जिसके नियम- 3 में निम्नवत व्यवस्था प्राविधानित की गयी है:-

> 3-(1) कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियों , राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह 'ग' के पदों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा उत्कृष्ट खिलाडियों के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित की जायेगी।
>
> (2) उक्त आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का होगा।
>
> (3) यदि उपनियम (1) के अनुसार पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते है , तो ऐसी न भरी गयी रिक्तियाँ अग्रेनीत नहीं की जायेंगी।

प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रस्तावित मा0 मंत्रि-परिषद की टिप्पणी के प्रस्तर-9.6 में में सभी सरकारी नौकारियों में खिलाडियों का कोटा 2 प्रतिशत रखे जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत ''उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाडियों की समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली, 2022 में **कुल रिक्तियों की 02 प्रतिशत रिक्तियों , राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में समूह 'ग' के पदों के अधीन सीधी भर्ती द्वारा उत्कृष्ट खिलाडियों के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।**

अतः प्रशासकीय विभाग मा0 मंत्रि-परिषद की टिप्पणी को उक्त सीमा तक संशोधित कर लेगें। मा0 मंत्रि-परिषद की टिप्पणी के अन्य बिन्दु कार्मिक विभाग से संबंधित नहीं होने के कारण परामर्श का कोई अवसर नहीं है।

प्रशासकीय विभाग का अभिमत :-

उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 के बिन्दु संख्या- 9.6 में कार्मिक विभाग के उक्त अभिमत को समाहित करते हुए मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी को संशोधित कर लिया गया है।

युवा कल्याण विभाग का अभिमत :-

युवा कल्याण विभाग द्वारा मा0 मंत्रि परिषद के लिए तैयार टिप्पणी पर अनापत्ति प्रदान की गयी है।

बेसिक शिक्षा विभाग का अभिमत :-

मा0 मंत्रि परिषद हेतु प्रस्तुत टिप्पणी पर बेसिक शिक्षा विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग का अभिमत :-

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 में प्रस्तावित घटकों पर उपलब्ध करायी गयी आख्या/अभिमत निम्नवत् है :-

बिन्दु संख्या	घटक	अभिमत
5.1 खेल प्रशासन के प्रमुख हितधारक	5.1.1-खेल विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार 5.1.2-यूपी ओलंपिक संघ (यूपीओए) और राज्य खेल संघ 5.1.3-स्थानीय निकाय और खेल क्लब/खेल अकादमियां	प्रमुख हितधारक में 5.4 के रूप में उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग को भी शामिल किये जाने की आवश्कता है।
5.1.3 स्थानीय निकाय और खेल क्लब/खेल अकादमियां (प्रस्तर-2)	खेल संगठनों के रूप में हितधारक के अलावा , अन्य सरकारी विभाग और शैक्षणिक संस्थान नीति को क्रियान्वित करते समय अपनी सर्वोतम प्रथाओं और चुनौतियों को साझा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। शैक्षिक संस्थानों को समय सारिणी के हिस्से के रूप में खेल/ शारीरिक शिक्षा के प्रतिदिन न्यूनतम् 60 मिनट शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खेल विभाग, षिक्षा विभाग के सहयोग से स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं से खेल प्रतिभाओं की पहचान करने का प्रयास करेगा।	माध्यमिक शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रतिदिन एक वादन 40 मिनट खेल/शारीरिक शिक्षा के लिए निर्धारित है। उक्तानुसार ही वादन निर्धारित किया जाना समीचीन होगा।
7.1.1 खेल नर्सरी	मौजूदा स्कूलों (सरकारी और निजी दोनों) और पर्याप्त खेल सुविधाओं के साथ खेल अकादमियों को खेल नर्सरी के रूप में नामित किया जाएगा जो स्कूल के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे।	स्कूलों में पी 0ई0टी0 की तैनाती शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाना समीचीन होगा। विद्यालयों में शारीरिक प्रशिक्षक (व्यायाम शिक्षक) पूर्व से कार्यरत है। खेल विभाग के माध्यम से इनका

	खेल विभाग इन स्कूलों/अकादमियों में पीईटी/जमीनी स्तर के प्रशिक्षकों को तैनात करने/प्रशिक्षित करने में सहायता करेगा ताकि स्कूल/ अकादमियों के छात्रों और अन्य छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सके , जिन्होनें स्कूल के बाद के कार्यक्रमों में दाखिला लिया है। यदि स्कूल खेल शुल्क पर्याप्त नहीं है तो विभाग स्कूलों को खेल किट और उपकरण आहार सहायता और खेल कोचों के वेतन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।	दक्षता संवर्धन किया जाना समीचीन होगा।
7.3 खेल अवसंरचना विकास योजनाओं का कार्यान्वयन	खेलो इण्डिया योजना , मनरेगा की योजनाएं, शिक्षा विभाग, युवा मामला विभाग और अन्य विभाग बुनियादी ढांचे के उन्नयन/विकास के लिए विभिन्न स्रोतों का कन्वर्जन्स किया जाएगा।	शिक्षा विभाग द्वारा खेल/शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बुनियादी ढांचे के उन्नयन/विकास का कार्य किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के स्रोतों के कन्वर्जन्स किये जाने का औचित्य नहीं है।
8.1. यूपी स्पोर्टस पालिसी 2023 के तहत प्रयास किया जाएगा	प्राथमिक , माध्ययिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर पाठ्यक्रम में योग और शारीरिक शिक्षा को शामिल करने के लिए शिक्षा नीतियों/योजनाओं में संशोधन । छात्रों/छात्राओं को खेल विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम पीईटी को प्रशिक्षित करेंगे। इस संबंध में , खेल विभाग ई-लर्निंग और आभासी कक्षाओं जैसे नवीन तरीकों का उपयोग करते हुए पीईटी के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए खेल संघों या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के साथ सहयोग करेगा। स्कूलों में खेलों हेतु विद्यार्थियों से ली गई फीस का लेखा-जोखा रखा जाएगा तथा यदि धनराशि कम रहती है तो खेल उपकरण का प्रावधान सुनिश्चित कराने के लिए शिक्षा और खेल या निजी क्षेत्र की भागीदारी में मौजूदा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया जाएगा। पीईटी कोचों को मानदेय दिया जाएगा।	शिक्षा विभाग द्वारा कार्यवाही गतिमान है। स्कूलों में खेलों हेतु विद्यार्थियों से ली गई फीस का लेखा-जोखा विद्यालयों के पास उपलब्ध है तथा शिक्षा विभाग द्वारा खेल उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे है। नीति में उल्लिखित व्यवस्थाओं का संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग/ई-लर्निंग और आभासी कक्षाओं जैसे नवीन तरीकों का उपयोग करते हुए पीईटी के तकनीकी प्रशिक्षण के लिए खेल संघों या भारतीय खेल प्राधिकरण (साई)/खेल विभाग के साथ सहयोग करेगा।

10.2 वार्षिक बहु-खेल आयोजन	विभाग अंडर- 12, अंडर-14, अंडर-16 और अंडर-18 आयु समूहों सहित अपने स्वयं के कई खेल आयोजनों का शुभारंभ करेगा। यह कार्यक्रम गांव और स्कूल स्तर से और राज्य स्तर तक सभी तरह से आयोजित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक युवा खिलाडियों को एक्सपोजर दिया जा सके। इस आयोजन में लड़कों और लड़कियों के लिए उल्लिखित आयु वर्ग के खेल विषय शामिल होंगे।	शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय/तहसील/जनपद/मण्डल/ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की गतिविधियों का आयोजन कराता है। जिसमें प्राथमिक/जूनियर /माध्यमिक स्तर पर 14 वर्ष से कम (सब जूनियर आयु वर्ग), 17 वर्ष से कम (जूनियर) एवं 19 वर्ष से कम (सीनियर) आयु वर्ग के छात्रों का चयन करके विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कराये जाने की व्यवस्था प्रावधानित है। उक्तानुसार छात्र/छात्राओं का राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोजर भी किया जाता है। प्रत्येक विद्यालय के छात्र/छात्राओं को खेलों से जोड़ने के लिए विद्यालय में सदनवार आयोजन , खेलकूद समितियों का गठन तथा प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार को सदनवार खेलकूद आधारित प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है

यह भी उल्लेख किया गया है कि खेल के बुनियादी ढाँचा का महत्वपूर्ण अंग विद्यालय है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों के माध्यम से प्रदेश में अध्ययनरत छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है कि खेल नीति- 2023 में शिक्षा विभाग को विद्यालय स्तर पर उपयोगी बनाया जा सकता है।

<u>प्रशासकीय विभाग का अभिमत :-</u>

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये अभिमत के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

<u>उच्च शिक्षा विभाग का अभिमत :-</u>

1. प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में डोपिंग व स्वस्थ खान-पान विषयक जागरूकता लाने का बिन्दु खेल-नीति में सम्मिलित करने का सुझाव है ।
2. निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों में क्रीड़ा परिषद के अन्तर्गत सेन्टर आफ एक्सीलेन्स की व्यवस्था प्रभावी करने का बिन्दु नीति में सम्मिलित किया जाये।
3. राजकीय तथा निजी विश्वविद्यालयों में पीपीपी मोड के माध्यम से प्रत्येक खेल की विश्वस्तरीय/ ओलम्पिक मानकों की अवस्थापना सुविधा निर्मित की जाये।
4. ऐसी निर्मित अवस्थापनाओं को एकीकृत रूप से व मल्टीडिस्पेन्लरी/मल्टीपल खेल हेतु पीपीपी मोड के माध्यम से संचालित की जायें।
5. उपरोक्त बिन्दु 3 व 4 हेतु प्रोत्साहन योजना नीति में सम्मिलित की जाए।

उक्त सुझावों के साथ मा0 मंत्रिपरिषद हेतु टिप्पणी पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है।

प्रशासकीय विभाग का अभिमत :-

उच्च शिक्षा विभाग के उक्त अभिमत के क्रम में खेल विभाग द्वारा अपनी खेल अवस्थापना सुविधाओं पर सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना खेल की विश्व स्तरीय/ओलम्पिक मानकों की अवस्थापना सुविधा निर्मित किये जाने एवं निर्मित अवस्थापनाओं को पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से संचालित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग के सुझावों को सम्मिलित किया जायेगा।

नियोजन विभाग का अभिमत:-

नियोजन विभाग द्वारा मा0 मंत्रिपरिषद की टिप्पणी पर प्रचलित/सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अधीन समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने पर सैद्धान्तिक अनापत्ति प्रदान की गयी है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अभिमत :-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि " खेल विभाग से भविष्य में यदि कॉलेज/छात्रावास में प्रशिक्षुओं की देखभाल के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक/चिकित्सक इत्यादि की मांग चिकित्सा विभाग से किया जाता है तो प्रस्तावानुसार उक्त पदों के सृजन पर तत्समय विचार किया जा सकता है। जहां तक यू0पी0 खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच और खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को आयुष्मान योजना के तहत रू0- 5.00 लाख का केशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर किये जाने का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में खेल विभाग को समस्त खिलाडियों, एथलीट, कोच एवं खेल विज्ञान कर्मचारियों एवं उनके परिवार का डाटा उपलब्ध कराया जाना होगा तथा प्राप्त डाटा के अनुसार वर्तमान में निर्धारित दर के अनुसार प्रति परिवार प्रति वर्ष रू0- 1102/- की दर से सम्बन्धित विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जाना होगा। लाभार्थी परिवारों की संख्या अधिक होने की दशा में उक्त कार्य हेतु स्टेट नोडल एजेंसी (साचीज) के अन्तर्गत मानव संसाधन के अतिरिक्त पदों का सृजन भी किया जाना होगा।"

प्रशासकीय विभाग का अभिमत :-

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिये गये उक्त अभिमत के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी।

3- मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा इस टिप्पणी का अवलोकन कर लिया गया है।

4- अतएव, प्रस्तर-1 के बिन्दु- 1 से 14 पर वर्णित उत्तर प्रदेश खेल नीति- 2023 पर कृपया मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन निवेदित है।

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव।
O/C

खेल अनुभाग
पत्रावली संख्या- 493/बयालिस/2023
लखनऊ : दिनांक :20 फरवरी, 2023

Deingh
20.02.23

गोपनीय

परिशिष्ट-1

मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे प्रस्ताव और निवेदित निर्णय के प्रभावों का संक्षिप्त विवरण

क्रमांक	बिन्दु	विवरण
1-	मा0 मंत्रि परिषद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव का सार (**Gist**)	भारत में खेल एक आदर्श बदलाव का गवाह बन रहा है और हाल के इतिहास ने न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हमारे एथलीटों के प्रदर्शन के संदर्भ में बल्कि वैश्विक खेल आयोजनों को भारत में लाने के लिए भी खेलों में बढ़ती दिलचस्पी और निवेश को दिखाया है। हमारे एथलीटों के खेल प्रदर्शन के बारे में बढ़ती जागरूकता के अलावा, खेल भागीदारी के महत्व और एक सक्रिय जीवन शैली के लाभों को भी व्यापक मान्यता मिली है। केंद्र सरकार की पहल जैसे खेलो इंडिया और फिट इंडिया ने वास्तव में देश के खेल और फिटनेस पारिस्थितिकी तंत्र पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। चूंकि खेल राज्य का विषय है, इसलिए सकारात्मक प्रभाव लाने की शक्ति उत्तर प्रदेश के खेल विभाग के पास है। इसे सफल बनाने के लिए विभाग केंद्रीय और राज्य स्तर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है और जमीनी स्तर से एथलीटों की भागीदारी और प्रगति के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, जिससे खेल और फिटनेस गतिविधियों में बड़ी जनता भी शामिल होती है। प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता की खोज में एथलीटों को सुविधा प्रदान करके उत्तर प्रदेश के भीतर एक संपन्न, समावेशी स्पोर्ट्स इको सिस्टम स्थापित करना। खेल और सक्रिय जीवन शैली की संस्कृति को बढ़ावा देना, और दूरगामी लाभों के साथ एक खेल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना। एक मजबूत प्रतिभा पहचान और विकास संरचना की स्थापना करते हुए बच्चों और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, कम उम्र में प्रतिभा को पहचानना और उन्हें उत्कृष्टता के लिए पोषित करना, खेल उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाले सभी एथलीटों के लिए व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रशिक्षण सहायता प्रदान करना, सभी को पर्याप्त स्तर-उपयुक्त प्रशिक्षण अवसंरचना प्रदान करना, राज्य में खिलाड़ियों की भागीदारी के सभी स्तरों पर अपने खिलाड़ियों के लिए राज्य में एक व्यापक प्रतियोगिता संरचना का समर्थन करने के लिए, खेल के लिए राज्य के दृष्टिकोण के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करना। खेलों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त खेल बुनियादी ढांचे का विकास, उन्नयन, उपयोग और रखरखाव करना और आयोजनों की मेजबानी के लिए बुनियादी

		ढांचे सहित स्पोर्ट्स इको सिस्टम को मजबूत करना, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)/पब्लिक एसोसिएशन पार्टनरशिप (पीएपी)/पब्लिक फेडरेशन पार्टनरशिप (पीएफपी) के जरिए बुनियादी ढांचे सहित खेल इको सिस्टम को मजबूत करना। निजी क्षेत्र के खेल अकादमियों/ सुविधाओं को वित्तीय/तकनीकी सहायता उपलब्ध कराकर प्रदेश में अधिक से अधिक खेल सुविधाएं सृजित करना राज्य के सभी नागरिकों के लिए खेल की संस्कृति और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना, चाहे उनकी उम्र, भूगोल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, उपकरण, प्रौद्योगिकी, सेवाओं और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में कंपनियों और स्टार्ट-अप को सुविधा प्रदान करके राज्य में एक फलते-फूलते खेल उद्योग का विकास करना, ओडीओपी जैसी योजनाओं का लाभ उठाकर स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग के हब का विकास, स्पोर्ट्स इको सिस्टम में खिलाड़ियों, कोचों, सहायक कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को उनकी बेहतर उपलब्धियों के लिए मान्यता, पुरस्कार और प्रोत्साहन देना, महिलाओं की भागीदारी, पैरा-एथलीटों और स्वदेशी पारंपरिक खेलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में खेलों का उपयोग करना, नीति कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय, राज्य विभागों और निजी भागीदारों के साथ बहु-हितधारक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना, खेल पहल और योजनाओं के कुशल वितरण के लिए दिन-प्रतिदिन के संचालन में डिजिटल प्रथाओं को आत्मसात करना।
2-	प्रस्ताव से राज्य सरकार पर पड़ने वाला व्यय भार। कितनी समय अवधि तक यह व्यय भार सम्भावित है। यदि केन्द्र सरकार की भी व्यय भार में भागीदारी है तो उसका भी उल्लेख	प्रश्नगत खेल नीति- 2023 लागू होने पर इसका क्रियान्वयन वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं से एवं आगामी वित्तीय वर्ष- 2023-24 में प्रस्तावित योजनाओं/परियोजनाओं हेतु आवंटित की जाने वाली धनराशि से किया जायेगा। यदि भविष्य में व्यय भार में वृद्धि होती है तो अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा एवं केन्द्र सरकार पर पडने वाला व्यय-भार खेलों इण्डिया योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है, जो तद्समय निर्धारित होगा।
3-	क्रियान्वयन की समय-सारणी एवं प्रक्रिया	खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु बजटीय व्यवस्था होने के उपरान्त समय-सारणी का निर्धारण किया जायेगा।
4-	प्रस्तावित निर्णय से क्या लाभ प्राप्त होंगे।	यूपी स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 को यूपी को स्पोर्ट्स प्रमोशन और डेवलपमेंट में एक लीडर के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस नीति में उल्लिखित पहलों और विचारों के कार्यान्वयन से खेल कौशल के एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें यूपी को चैंपियन राज्य के रूप में मान्यता दी जा सकेगी, और एक ऐसे राज्य के रूप में भी जो खेल को अपनी सक्रिय जीवन शैली के हिस्से के रूप में अपनाएगा। नीति में पहलुओं को संबंधित हितधारकों/ एजेंसियों द्वारा योजनाओं और परिचालन दिशानिर्देशों के

		रूप में और विस्तृत किया जाएगा और मौजूदा व भविष्य में कार्यान्वयन एक सहयोगी, बहु-हितधारक मॉडल में राज्य के स्पोर्ट्स इको सिस्टम में सुधार के लिए किया जाएगा।
5-	यदि प्रस्तावित निर्णय से जन सामान्य को सीधा लाभ प्राप्त होगा तो उसका उल्लेख	उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स पालिसी- 2023 के क्रियान्वयन से देश व प्रदेश के खिलाड़ी खेल में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर लाभान्वित होगे।
6-	प्रस्ताव में यदि किसी प्रकार का नवाचार (**Innovation**) हो, उसका उल्लेख	खेलों का समग्र विकास मुख्यतः वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा हर साल बजट आवंटन में वृद्धि की जाती है, लेकिन राज्य में खेलों के विकास के लिए कॉर्पोरेट फंड जुटाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। खेल को बढ़ावा देने, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कॉर्पोरेट्स की भागीदारी का प्रयास किया जाएगा तथा प्रेरित किया जाएगा। इन प्रयासों में, राज्य सरकार 10 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाएगी। धन का उपयोग मुख्य रूप से खेल उपकरण समर्थन, विदेशी प्रदर्शन यात्राएं, विदेशी प्रशिक्षण शिविर, फिजियोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक और विदेशी कोचों जैसे विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सहायक होनहार खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा।
7-	प्रस्ताव से सभावित रोजगार सृजन यदि हो।	विभाग दोतरफा दृष्टिकोण अपनाकर खेलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करेगा। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य को योग्य खेल प्रबंधकों, प्रशासकों और संचालन कर्मियों का एक पूल बनाने में मदद करेगी, जिनके पास अपने खेल विकास उद्देश्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक और निजी संगठनों की सहायता करने के लिए प्रासंगिक कौशल होगा। समानांतर में, विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को यूपी में लाने के लिए खेल संघों के साथ सक्रिय रूप से काम करेगा, जिससे बड़ी संख्या में कर्मियों की भर्ती होगी और सेवा प्रदाताओं की अधिकता होगी। खेल पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक मजबूत और आधुनिक प्रशासनिक संरचना सुनिश्चित करके, कई योग्य कर्मियों को खेल विकास संगठनों और शासी निकायों के साथ भी जोड़ा जाएगा।

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।